रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266807
SG-DL-E-09102025-266807

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 270
No. 46]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947	[N. C. T. D. No. 270

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

सं. 77/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के खंड V के अध्याय I के भाग क (ख) के नियम 5 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों एवं आदेशों के खंड V के अध्याय 1 के भाग क (ख) के मौजूदा नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

5. ज़मानत आवेदन-उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रत्येक ज़मानत आवेदन में याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसा ही आवेदन किया गया है या नहीं, और यदि किया गया है तो उसका परिणाम क्या था। याचिकाकर्ता/आवेदक को यह भी बताना होगा कि क्या वह किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल है/था या नहीं। यदि हाँ, तो उसका विवरण और निर्णय प्रस्तुत करना होगा। जिस आवेदन में यह जानकारी नहीं है, उसे आवश्यक जानकारी के साथ पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 25th September, 2025

No. 77/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in Rule 5 of Part A(b), Chapter I of Volume V of the Delhi High Court Rules & Orders.

The following shall be substituted for the existing Rule 5 of Part A(b) of Chapter 1 of Volume V of the Delhi High Court Rules & Orders:-

5. Bail Applications- In every application for bail presented to the High Court the petitioner shall state whether similar application has or has not been made to the Supreme Court, and if made shall state the result thereof. The petitioner/applicant shall also mention whether he/she is/was involved in any other criminal case or not. If yes, particulars and decisions thereof. An application which does not contain this information shall be placed before the bench with the necessary information.

NOTE : THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of this Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA